7

न्यायालय-श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र०

निग – 1811 – II – 16

1. राजेन्द्र केवट पिता बोडई केवट
2. संतोष केवट पिता बोडई केवट
3. रीना माझी पिता बोडई केवट
4. अंजना केवट पिता बोडई केवट

सभी निवासी भुईबांध तहसील सोहागपुर थाना व जिला शहडोल म0प्र0 .... निगराकारगण

बनाम

1. लालचंद कुन्दनानी पिता स्व0 जीवतराम कुन्दनानी निवासी सिंधी धर्मशाला वार्ड नं0 19 शहडोल तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0
2. म0प्र0 शासन .... गैरनिगराकारगण

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959
विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर शहडोल के प्रकरण कमांक 01/निगरानी/15–16 आदेश दिनांक 13/4/16

Debate 04/6/16

दि. 4.6.16 को ... ... पेश
SO 4-6-16

मान्यवर,

संक्षिप्त में पुनरीक्षण के तथ्य निम्न है –

ग्राम भुईबांध तहसील सोहागपुर जिला शहडोल अन्तर्गत स्थित आराजी खसरा कमांक 72 जिसका कि रकवा बहुत बडा है के अंश भाग 1 एकड के मालिक स्वामी काबिजदार निगराकरगण है। तहसीलदार सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0 के राजस्व प्रकरण कमांक 13(ए–27/13–14) आदेश दिनांक 26/2/2014 के द्वारा आवेदकगण के बीच भूमि का बंटवारा किया गया है जिस प्रकार खसरा कमांक 72 के बटे नम्बर 72/13/1, 72/13/2 निर्मित हो गये है। खसरा कमांक 72/13 का मालिक स्वामी काबिजदार राजस्व अभिलेखो में

राजेन्द्र संतोष रीना मांझी अंजना

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1811/दो/2016 जिला–शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
21/8/18	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, शहडोल के प्रकरण क्रमांक 1/01/निग/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम भुईबांध तहसील सोहागपुर जिला शहडोल में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 72 जिसका रकवा बहुत बडा है के अंश भाग 1 एकड के मालिक स्वामी कब्जेदार आवेदकगण है। तहसीलदार सोहागपुर जिला शहडोल के राजस्व प्रकरण क्रमांक 13/ए–27/2013–14 आदेश दिनांक 26.02.2014 के द्वारा आवेदकगण के बीच भूमि का बंटवारा किया गया है, जिस प्रकार खसरा क्रमांक 72 के बटे नं. 72/13/1, 72/13/2 निर्मित हो गये है खसरा क्रमांक 72/13 का मालिक स्वामी कब्जेदार राजस्व अभिलेखों में बोडई पिता अर्जुन केवट था बोडई केवट राजस्व अभिलेख में बोडई पिता अर्जुन केवट था। बोडई केवट राजस्व अभिलेख में गैर हकदार कास्तकार था अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर द्वारा जरिये प्रकरण क्रमांक 85/अ–1/1979–80 आदेश दिनांक 18.04.1983 के द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रियात्मक कार्यवाही कर बोडई केवट को भूमि स्वामी घोषित किया था इस प्रकार वर्ष 1983 से बोडई भूमि स्वामी की हेसियत से उपयोग उपभोग करता रहा है, शहडोल कलेक्टर द्वारा लम्बे समय के पश्चात् अनुविभागीय	

अधिकारी सोहागपुर के प्रकरण क्रमांक 85/अ–1/1979–80 को स्वमेव निगरानी में लेकर प्रकरण क्रमांक 10/निगरानी/1984–85 दर्ज कर अवैधानिक रूप से आदेश दिनांक 20.10.1986 को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया गया। बोडई केवट द्वारा कलेक्टर शहडोल के आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 86/निग/1986–87 आदेश दिनांक 23.09.1992 को कलेक्टर के आदेश को त्रुटि पूर्ण मानकर प्रत्यावर्तित कर दिया गया था। लालचन्द्व कुन्दनानी जो सिंधी समाज शहडोल के अध्यक्ष है उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर शहडोल के यहा एक आवेदन पत्र 14.10.2015 को इस आशय से प्रस्तुत किया कि अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण क्रमांक 86/निग/1986–87 आदेश दिनांक 23.09.1992 का पालन किया जावे आवेदन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्व कर मूल प्रकरण तलब करने के आदेश पारित किये गये तत्पश्चात् दिनांक 13.04.2016 को कन्डोलेंस घोषित किया गया था किन्तु विधि विरूद्व तरीके से एक पक्षीय रूप से कलेक्टर शहडोल द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त नजूल अधिकारी शहडोल यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के इसी कार्यवाही के विरूद्व आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा किया है कि गैर निगरानी कर्ता

द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई आवेदन पत्र दिनांक 14.10.2015 को प्रस्तुत नहीं किया था क्योंकि आवेदन पत्र में प्रार्थी के स्थान में अधिवक्ता के हस्ताक्षर एवं नाम अंकित है। तथा आदेश पत्रिका में गैर निगरानी कर्ता के हस्ताक्षर नहीं है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत आवेदन प्रचलन योग्य ही नहीं था गैर निगरानी कर्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे इसलिये उन्हे प्रकरण में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश दिनांक 13.04.2016 से यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिये है जो एक पक्षीय होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त स्थिति में वर्तमान निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शहडोल द्वारा पारित आदेश 13.04.2016 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह आधार लिया है कि वर्तमान प्रकरण में कलेक्टर जिला शहडोल को कार्यवाही की जानी है। जिसमें आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान होगा ऐसी स्थिति में वर्तमान निगरानी चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है अंत में निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6– अनावेदक क्रमांक 2 शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया है कि कलेक्टर जिला शहडोल द्वारा वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया है जिससे आवेदक के हितो पर विपरीत प्रभाव पड़े। ऐसी स्थिति में वर्तमान निगरानी इसी स्तर पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

7– उभयपक्षों के अभिभाषको के तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा

प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 13.04.2016 से स्पष्ट है कि कलेक्टर जिला शहडोल द्वारा स्थगन आदेश आगामी आदेश पर्यन्त जारी किया है जोकि भू–राजस्व संहिता के प्रावधानो के विपरीत है क्योंकि संहिता की धारा 52 में स्पष्ट प्रावधान है कि आदेश की निष्पादन एक बार में तीन मास से अधिक के लिये या अगली सुनवाई की तारीख पेशी तक, जो भी पूर्वतर हो, नहीं रोका जायेगा ऐसी स्थिति में उपरोक्त आदेश स्थिर रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। कलेक्टर जिला शहडोल को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश प्राप्ती से 30 दिवस के अन्दर प्रकरण का निराकरण आवश्यक रूप से गुण दोषो पर करे तब तक प्रकरण में यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते है।

8– उपरोक्त विवेचना के आधार पर वर्तमान निगरानी समाप्त की जाती है।

सदस्य